

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक(वन बल प्रमुख),राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ.21(8 ) 2024-25/विकास/प्रमुखसं/ 3550

दिनांक : 26.06.2024

कार्यालय आदेश

मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान एवं Tree Outside Forest in Rajasthan (TOFR) योजना को सफल बनाने के लिये राज्यव्यापी प्रचार-प्रसार के लिये दो से तीन प्रचार-प्रचार की विभिन्न गतिविधियों जैसे नुक्कड़ नाटक,पेन्टिंग्स प्रतियोगिताएँ, कठपुतली नृत्य,रैली आयोजन हेतु बजट मद 4406- वानिकी तथा वन्यजीव पर पूंजीगत परिव्यय01-वानिकी, 800-अन्य व्यय (01)-फार्म वन वि.द्या-63 वृक्षारोपण के अन्तर्गत वर्ष 2024-25 हेतु निम्नानुसार बजट आवंटन किया जाता है:-

क्र.सं.	जिला	वन मण्डल	आवंटित राशि (राशि रु. लाखों में)
1	Jaipur	DCF, Jaipur (N)	0.30
		DCF, Jaipur	0.30
		DCF,FTI,Jaipur	0.20
		DCF,WL, Zoo,Jaipur	0.40
		<b>Total</b>	<b>1.20</b>
2	Alwar	DCF, Alwar	0.20
3	Jodhpur	DCF, Jodhpur	0.20
4	Naguar	DCF,Naguar	0.20
5	Udaipur	DCF, Udaipur	0.30
		DCF, Udaipur (N)	0.30
		<b>Total</b>	<b>0.60</b>
6	Sikar	DCF, Sikar	0.20
7	Barmer	DCF, Barmer	0.20
8	Bharatpur	DCF, Bharatpur	0.20
9	Ajmer	DCF, Ajmer	0.20
10	Bhilwara	DCF, Bhilwara	0.20
11	Bikaner	DCF, Bikaner	0.20
		DCF, IGNP II, Bikaner	0.20
		DCF, Chattargarh	0.20
		<b>Total</b>	<b>0.60</b>
12	Jhunjhunu	DCF, Jhunjhunu	0.20
13	Churu	DCF, Churu	0.20
14	Pali	DCF Pali	0.20
15	Jalore	DCF, Jalore	0.20
16	Banswara	DCF, Banswara	0.20
17	Sriganganagar	DCF, Ganganagar	0.20
18	Kota	DCF, Kota	0.20
19	Hanumangarh	DCF, Hanumangarh	0.20
20	Dausa	DCF, Dausa	0.20
21	Chittorgarh	DCF,Chittorgarh	0.20
22	Karauli	DCF, Karauli	0.20
23	Jhalawar	DCF, Jhalawar	0.20

क.सं.	जिला	वन मण्डल	आवंटित राशि (राशि रु. लाखों में)
24	Tonk	DCF, Tonk	0.20
25	Dungarpur	DCF, Dungarpur	0.20
26	S.Modhopur	DCF, S.Modhopur	0.20
27	Baran	DCF, Baran	0.20
28	Dholpur	DCF, Dholpur	0.20
29	Rajasamand	DCF, WL, Rajasamand	0.20
30	Bundi	DCF, Bundi	0.20
31	Sirohi	DCF, Sirohi	0.30
32	Pratapgarh	DCF, Pratapgarh	0.20
33	Jaisalmer	DCF, Jaisalmer	0.20
		DCF,IGNP, Jaisalmer	0.20
		<b>Total</b>	<b>0.40</b>
<b>GRAND TOTAL</b>			<b>8.70</b>

- आवंटित बजट के संबंध में निम्न कार्यवाही शीघ्र किया जाना सुनिश्चित करावे :-
1. उक्त आवंटन में यदि राशि का उपयोग संभव नहीं है अथवा बचत हो तो वह राशि इस आवंटन दिनांक से 15 दिवस के अन्दर समर्पित कर दी जावे।
  2. कार्यों को प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन की स्वीकृति नियमानुसार सक्षम स्तर से जारी की जावे अथवा करा ली जावे तथा राज्य सरकार के वित्तीय निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जावे।
  4. बजट का उपयोग सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों, वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर उपापयन (Procurement) एवं व्यय के संबंध में जारी परिपत्रों, कोष नियम एवं अन्य संबंधित नियमों के अनुसार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों की पालना करते हुए बजट सीमा में करें। इन नियमों/आदेशों की अवहेलना करने वाले अधिकारी अनियमितताओं के लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

(अनुराग भारद्वाज)

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,(विकास)  
राजस्थान,जयपुर

दिनांक : 26.06.2024

कमांक एफ.21(8) 2024-25/विकास/प्रमुवसं/ 3551-70

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर
2. मुख्य वन संरक्षक, जयपुर/कोटा/भरतपुर/उदयपुर/बीकानेर/जोधपुर/अजमेर/वन्यजीव जयपुर/वन्यजीव उदयपुर/वन्यजीव कोटा/वन्यजीव सरिस्का।
4. वित्तीय सलाहकार, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. संबंधित उप वन संरक्षक.....।
6. प्रभारी अंक मिलान (लेखाशाखा)/संकलन शाखा (सांख्यिकी अनुभाग)/कंप्यूटर अनुभाग वेब साईट पर अपलोड हेतु/
7. सूचना सहायक, क0लेखाकार (विकास अनुभाग) कार्यालय हाजा/ गार्ड फाईल।

(सेडूराम मादव)

मुख्य वन संरक्षक (आयोजना)  
राजस्थान, जयपुर